RESEARCH JOURNEY International Multidisciplinary E-Research Journal | ISSN- 2348-7143
Impact Factor - (SJIF) – 6.261, (CIF) - 3.452, (GIF) –0.676 Special Issue – 106(A) | March 2019 | UGC Approved No. 40705
Male Female Ratio Imbalance in India

घटता लिंगानूपात और समाज की मनःस्थिती

सहा. प्रा. मडावी ए.डी.
अर्थषास्त्र विभाग प्रमुख

भालेराव सुधाकर नारायण
आदर्ष महाविद्यालय, हिंगोली आदर्ष महाविद्यालय, हिंगोली

हमारे केंद्र और राज्य सरकारे देश में लड़कियों के पक्ष में लाख नगाडे बजाए, पर भारत के कान पर जूँ तक रेंगती नजर नहीं आ रही है। हाल ही में जारी जनगणना 2011 के प्रारंभिक आंकडे इस सच को जागर करते है। एक दशक पहले की जनगणना में भी घटते लिंगानूपात पर समाज के चिंतको ने जगह–जगह आंसू बहाए थे और इसमें सुधार का वादा किया था, लेकिन ऐसा कुछ नही हुआ बल्कि यह अनुपात इस बार और भी घटता गया। ऐसी स्थिती में कई प्रश्न उठ रहे है। आखिर शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के बावजूद बेटियों के प्रति नफ़रत क्यों बढ रही है? क्यों उनकी हत्या हो रही है?

जहॉ तक देश की कुल जनसंख्या का प्रश्न हैं, वह एक अरब 21 करोडो हो गई हैं, जिसमें 62 करोड 37 लाख पुरूष तथा 58 करोड 65 लाख महिलाएं है। यद्यपि पिछले 10 वर्षों में भारत का कुल लिंगानुपात 933 से बढ़कर 940 हो गया हैं, लेकिन बच्चो का लिंगानुपात 927 से घटकर 914 हो गया है। यह अनुपात आजाद भारत का सबसे निचला स्तर रहा है।

दुनिया के सबसे खराब लिंगानुपात वाले देशों में भारत का नाम अग्रनी है जो कि महिला अधिकारो के प्रति उल्लंघन के लिए भी जाना जात है। शासन की परस्पर विरोधी विभिन्न नीतियॉ औरं महिला अधिकारों के प्रति अज्ञानता तथा कन्या भ्रूण हत्या के लिए काफी हद तक जिम्मेदार रही हैं। आज भी लोगो में यह पुरातन धारणा जिवित है कि लड़का वंश चलाता है और लड़कियॉ पराया धन होती है। न केवल गरीब परिवारों में बल्कि संपन्न परिवारों में भी वंश चलाने के लिए लड़के की चाह में लड़कियॉ की भ्रूण हत्या की जा रही हैं।

कन्या भ्रूण – हत्या के लिए जिम्मेदार कारक :–

1) पुत्र प्राप्ति की चाहत व पुत्र को दी जानेवाली प्राथमिकता
2) समाज में प्रचलित दहेज कुप्रथा
3) कन्या (शिशु) के प्रति भेदभाव
4) गर्भावस्था के दौरान लिंग जॉच सुविधा आसानी से उपलब्ध
5) चिकित्सीय नैतिकता में कमी आना
6) महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक असुरक्ष की भावना।

शिक्षा सामाजिक सम्पर्क व सम्पन्नता में वृध्दि के साथ–साथ लिंग समानता का मूल्य स्थापित नही हुआ हैं। मृत्यू दर में कमी तथा परिवार कल्याण नीतियों की सफलता दो बच्चों के प्रचलन को मान्यता प्रदान करती है।

आधुनिक तकनीको का दुरूपयोगः–

भारत विश्व के कुछ गिने–चुने देशों में से एक हैं, जहॉ सन 1972 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत गर्भपात को कानूनी मान्यता दी गई हैं। हालाकि गर्भपात गर्भनिरोधक साधनों के असफल रहने अथवा मॉ या होने वाले बच्चो की जान को खतरा होने या इसी तरह के मामलों में ही कानूनी तौर पर गर्भपात मान्य होता है, किन्तु सत्य यही हैं कि सैंकडों पंजीकृत व गैर पंजीकृत गर्भपात केन्द्रो में किसी भी परिस्थिती में कोई भी गर्भपात करवा सकता हैं।

दसवी पंचवार्षीय योजना 2002 – 2007 में लिंग निर्धारण के सभी तरीकों पर रोक लगाने पर जोर दिया गया ताकि स्त्रिया पुरूषों के साथ कदम से कदम मिला कर राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, नागरिक तथा सांस्कृतिक आदी सभी क्षेत्रों में मौलिक स्वतंत्रता का न सिर्फ कानूनी अपितु वास्तविक लाभ उठा सकें। बालिका भ्रूण हत्या का पूरी तरह गर्भावस्था – पूर्व एवं प्रसवपूर्व नैदानिक जॉच तकनीक अधिनियम 1994 को प्रभावी रूपसे कारगर बना–कर ही किया जा सकता हैं। गैर सरकारी संगठ्नो को लिंग के आधार पर गर्भपात करवाने वाले स्थानों को विन्हित तथ सूचीबध्द करने में सहयोग प्रदान करना चाहिए।

लिंगानुपातः–

देश में लगातार कम होता बाल लिंगानुपात समाज एवं सरकार दोनों के लिये गंभीर चिंता का विषय हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में नारी को सदैव ही सम्मानजनक स्थान दिया गया हैं। लेकिन अभी भी लडके – लड़कियों में भेदभाव किया जाता हैं। मानसिकता में बदलाव लाकर ही लिंगभेद को दूर किया जा सकता हैं। बेटियों की संख्या में लगातार हो रही कमी का समाज को खतरनाक परिणाम भुगतना होगा। महिलाएँ, शिक्षक, गणमान्य नागरिक सामाजिक कार्यकर्ता आदि समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच पैदा कर, इस धारणा को समाप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। हमारे देश में बाल लिंगानुपात में बना असंतुलन राष्ट्रीय शर्म का विषय है। समाज में व्याप्त कुछ पीढ़ीगत कुरितियॉ परिवारों में लड़के की चाह बच्चियों के जन्म लेने के अधिकार और उन्हे पढ़ाई के पूरे अवसर

देने से वंचित कर रही हैं। हमें लड़कियों को पराया धन मानने की मानसिकता बदलनी होगी। हमारे समाज में लड़के लड़कियों के प्रति यह दोहरा चरित्र यहॉ की रूढ़िवादी सोच का ही परिणाम हैं।

सामाजिक ताना–बानाः–

महिलाओं के प्रति परिवार एवं समाज का दृष्टिकोन बदलना सर्वाधिक दुररूह कार्य हैं, इसलिए इस पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देना होगा। देश में बालको की तुलना में बालिकाओं की कम संख्या की समस्या दूर करने के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरूवात की गई और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस योजना का नोडल मंत्रालय हैं।

मनो–सामाजिक चुनौतियॉः–

प्राचीन समय से ही भारत में महिलाओं के प्रति एक खास प्रकार का पूर्वाग्रह स्थापित कर दिया है जो उनके विकास में बाधक बने रहते हैं। इसका परिणाम यह होता हैं कि देश के विभिन्न भागो में जहॉ–जहॉ समाज में जागरूकता व नैतिकता की कमी है, बेटियों को पैदा होने के पूर्व या पश्चात मार दिया जाता हैं। अब तो यह सभ्य व शिक्षित समाजो में भी प्रचलित हो गया हैं। इसी का नतीजा हैं कि भारत में स्त्री–पुरूष लिंगानुपात मे कमी होती जा रही हैं।

सामाजिक ढॉचे में लड़की का स्थान बहुत संकुचितः–

हमारे सामाजिक ढॉचे में लड़की का स्थान बहुत संकुचित और कुरीतियों और परंपरारूपी गलियारों से गुजारा जाता हैं, उसकी भूक्तभोगिनी 'मॉ' स्वयं उसे इस जंगल में नही लाना चाहती। पैदा होते ही दोगले रीत–रिवाजों की भीड़ में उसे ला दिया जाता हैं। उत्तर प्रदेश में लड़का होने पर थाली और लड़की होने पर तवा बजाये जाने की प्रथा सबसे बड़ा उदाहरण हैं। लड़का पैदा होने पर भव्य समारोह किया जाता है, प्रजा आदि को मुंह मांगी चीजें उपलब्ध करवाना, गहनों आदि से प्रशस्ति करवाना इसी रिवाज का अंग हैं। बेटी के जन्म पर न तो लड्डू बॉटे जाते हैं, न पकवान बनते है और नही धुमधाम होती हैं। यही नहीं बल्कि बेटे और बेटी की अचगी में बहुत अंतर होता हैं।

बेटी व्दारा अंतिम संस्कार सर्वथा अमान्यः–

इन सारी समस्याओं को यदि गंभीरता से न लिया जाए तो भी एक बहुत दुःखद स्थिती से बेटी के मॉ–बाप को गुजरना पड़ता हैं। बेटियों की शादी के बाद बूढ़े मॉ–बाप बेचारे अकेले रहने को बाध्य हो जाते हैं। चूकि दामाद उनका घर जमाई बनना नहीं चाहता और समाज उनको घर रहने की इजाजत नहीं देता। ऐसे में उन्हे पुत्र न होना दिन–रात रीसता रहता हैं।

पुराने रीति–रिवाजों को तोड़ना होगाः–

ऐसी विषम परिस्थितियों का परिणाम ही हैं कि अमूमन मॉ–बाप बेटी जन्मसे घबराते हैं। पढ़े–लिखे, समजझदार मॉ–बाप भी यदि हिम्मत करे बेटी पैदा कर लेते है तो बाद में दुःखी मन लिये मुँह लटकाये घुमते नजर आते हैं। जब तक ये सारे रीति–रिवाज, अंधविश्वास और कुप्रथाएँ तोड़ नहीं दी जाती, तब तक बेटी के जन्म पर शोक ही मनाया जाता रहेगा। बेटी को यदि बेटे के बराबर का दर्जा देना है, तो सबसे पहले ये सामाजिक व्यवस्था तोड़ कर नई व्यवस्था कायम करनी होगी, अपनी मानसिक स्थिती बदलनी होगी और पुराने रीति–रिवाज को तोड़ना होगा।

बलिका भ्रूण–हत्या रोकने हेतू किए जा सकने वाले प्रयासः–

1) लिंग भेदभाव बहुत ही गंभीर समस्या हैं। लिंग आधारित भेदभाव तथा असमानता को समाप्त करने हेतू राजनैतिक, विधायी (कानूनी) तथा विकास नीतीयों को पुनः समीक्षा किए जाने की आवश्यकता हैं।
2) सभी सरकारी तथा–निजी अस्पतालों में जन्म मृत्यू तथा निजी अस्पतालों में जन्म, मृत्यू तथा गर्भावस्था का पंजीकरण अनिवार्यतः लागू किया जाए।
3) बालिका भ्रूण–हत्या को रोकने की प्रक्रिया में सभी चिकित्सकों का सहयोग मिलना बहुत जरूरी हैं। चिकित्सकों व्दारा नैतिक दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
4) बालिका भ्रूण–हत्या की कुप्रथा पर प्रभावी रूप से नजर रखने हेतू पंचायती राज संस्थान तथा शहरी नगर निकायों जैसी स्थानीय संस्थाओं की सक्रिय सहाय्यता एवं सहयोग अति आवश्यक हैं।

कन्या एवं स्त्री संरक्षण कानूनः–

सरकार व्दार बेटियों के संरक्षण एवं समुचित भरण–पोषण के लिए तीन विशिष्ट काम किए जा रहे हैं – जागरूकता में वृध्दि, प्रोत्साहन तथा दंड का प्रावधान। यद्यपि जागरूकता के तहत पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच में वृध्दि हो। कन्याओं एवं स्त्रियों के संरक्षण के लिए सभी संबंधित कानूनों का, पूरी कड़ाई से पालन कर देश में उन्हे पूरी सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बालिकाओं को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनने के सक्षम बनाना है, तत्पश्चात मनोसामाजिक रूप से बालिका सशक्त होगी। शिक्ष रूपी दीपक से समाज में फैले अशिक्षा रूपी अहंकार को मिटाना होगा तथा लड़के व लड़की के बीच का भेद मिटाना होगा।

निष्कर्षः–

घटता लिंगानुपात, घटती मानवता, घटती महिलाएँ, मानवीय जीवन मूल्यों का ऱ्हास ही दर्शाता हैं। कुदरत का संतूलन स्त्री–पुरूष के बराबर रहने से ही है। बढ़ती जनसंख्या अभिशाप हैं जो विकास व समृध्दि को नगण्य बना देती हैं। अंतः समझना होगा, घटता लिंगानुपात बढ़ती जनसंख्या दोनोपर रोक जरूरी हैं। बेटियॉ परिवार ही नहीं, समाज, देश व दुनिया के भी सुनहरे भविष्य की गंगोत्री हैं। इसलिए समाज का भाव जागृत होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यालय एवं महाविद्यालय में पढ़ रही बेटियों में से कुछ मदर तेरेसा, इंदिरा गांधी, किरण बेदी, कल्पना चावला, सानिया मिर्झा आदि बनकर नई रोशनी बिखरेंगी। शिक्षारूपी दीपक से समाज में फैले अशिक्षा रूपी अंधकार को मिटाना होगा तथा लड़के व लड़की के बीच का भेद मिटाना होगा।

संदर्भसूचीः–

1) Kohhi Manorama, Women and Development Issues and Initiatives, publication Bureau, Punjab University.
2) पाठक कंचन, जनसंख्या नियंत्रण – अब नही तो कब?, समाजकल्याण वर्ष 63, अंक 12, जुलाई 2018.
3) भरोसे राम, बढ़ती जनसंख्या और हमारी प्रकृति, समाज कल्याण वर्ष 63, अंक 12, जुलाई 2018.
4) राही रामगोपाल, घटता लिंगानुपात, बढ़ती लोंसख्या हो दोनो पर सख्त नियंत्रण, समाज कल्याण वर्ष 63, अंक 12, जुलाई 2018.
5) बाला किरण, बच्चो में घटता लिंगानुपात, समाज कल्याण वर्ष 61 अंक 12, जुलाई 2018.
6) श्रीवास्तव विद्या, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता, समाज कल्याण वर्ष 61, अंक 12, जुलाई 2017.
7) काबरा रूपनारायण, बढ़ती आबादी, रूकते कदम, समाज कल्याण वर्ष 61, अंक 12, जुलाई 2017.
8) मराल गार्गीशरण मिश्र, वर्तमान परिवेश में सुखी परिवार की अवधारणा, समाज कल्याण वर्ष 61, अंक 12, जुलाई 2017.